

शुभ,

शिक्षा निदेशक (माओ)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

सेवा में,

संयुक्त सीएम,
शिक्षा अनुभाग-7
उ.प्र. शासन, लखनऊ

पत्रांक: साओ/ शिक्षा/ एमओडी/ 11028 /05-06 दिनांक 29/11/05
विषय: - एमओडी कांवेन्ट बागम्बरी गद्दी इलाहाबाद से करेलाबाग में नव
निर्मित भवन में विद्यालय स्थापना हेतु किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

संयुक्त शिक्षक मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक इलाहाबाद के पत्रांक
एसओ/6289-90/05-06 दिनांक 14-12-2005 द्वारा एमओडी कांवेन्ट बागम्बरी
गद्दी इलाहाबाद से करेलाबाग में नव निर्मित भवन में विद्यालय परिवर्तन किये
जाने का प्रस्ताव संलग्न की संज्ञा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव की स्थिति निम्नवत है।

- 1- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा अपना आदेश में उल्लेख
किया गया है कि एमओडी कांवेन्ट बागम्बरी गद्दी इलाहाबाद से करेलाबाग
इलाहाबाद में नव भवन में स्थापना हेतु किये जाने की अनुमति शासन से प्राप्त
कर ली जाय।
- 2- उक्त विद्यालय को सीओसीएचआई नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु
शासन से आवश्यक प्रस्ताव पत्र जारी किया गया, जिसकी प्रती संलग्न है।
उक्त विद्यालय को सीओसीएचआई नई दिल्ली से भी मान्यता प्राप्त हो चुकी
है। जिसकी प्रती संलग्न है।
- 3- विद्यालय जिस भूमि पर बनाया गया है उस भूमि के पंजीकृत अभिलेख
तथा सर्वेक्षण संलग्न कर प्रस्तुत किये गये हैं। जिसके अनुसार विद्यालय के पास
पर्याप्त भूमि है।
- 4- विद्यालय जिस सोसायटी द्वारा संचालित है उसका नवीनीकरण
करा लिया गया है। जो दिनांक 2-1-2008 तक की अवधि के लिये विधान-प
है।

विद्यालय के भवन परिवर्तित किये जाने की संयुक्त शिक्षा निदेशक
द्वारा संस्तुति की गई है।, जे आधार पर विद्यालय भवन परिवर्तित किये जाने
की आस्था संस्तुति संश्लिष्ट प्रेषित है।

संयुक्त शिक्षक मण्डलीय

भरणीप


25-12-2005

- 17] राज्य सरकार द्वारा तम्र ताल पर जो भी अंदेश मिले उसे रोक पायेंगे, तैयारी उनका प्रारंभ होगी।
- 18] विद्यालय या रिजर्व निर्धारित पुस्तक/परिचर्यों में रखा जायेगी।
- 19] उक्त प्राप्ति में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2- पुस्तकें यह भी होगा कि तैयारी द्वारा एक सुनिश्चित किया जाय कि विद्यालय में अर्पित शिक्षक/शिक्षिकाओं को न्यूनतम मरदूरी अधिष्ठाता के अधीन निर्धारित दर पर वेतनमान/परिशिष्टियों का पालन किया जाय।

3- उक्त पुस्तकें का प्रारंभ करना तैयारी के लिए अतिव्यय होगा और यदि किसी तम्र यह बताया जाता है कि तैयारी द्वारा उक्त पुस्तकें का प्रारंभ नहीं किया जा रहा है अथवा प्रारंभ करने में किसी प्रकार की मूठ या शिथिलता परती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा कृपया आशयित कृपाय कर वापस ले लिया जायेगा।

अधीन,

| श्री कृष्ण शर्मा |
संयुक्त सचिव।

फ़ोन 358011/15-7-98 तदनुसार

पुस्तकें निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- संयुक्त सचिव शिक्षा निदेशक, वाराणसी।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी।
- 4- निरीक्षक, अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- पुस्तक, समकालीन कानून हाउसिंग, 295/4, बाराबंकी रोड, वाराणसी।

अधीन,
| श्री कृष्ण शर्मा |
संयुक्त सचिव।

S. S. Sharma
Principal
M.L. College School
Bhawanipatti, Varanasi

M. S. Sharma
Principal
M.L. College School
Bhawanipatti, Varanasi

M. S. Sharma
Principal
M.L. College School
Bhawanipatti, Varanasi